न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या/2019/76

1. रामेश्वर पुत्र स्व0 श्री भंवर सिंह जाति राव राजपूत
2. गोकुल सिंह पुत्र स्व0 श्री ईश्वर सिंह जाति राव राजपूत निवासीयान् ग्राम वगरू रावान, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. मातादीन सिंह (मृतक)

1/1 प्रेम देवी पत्नी स्व0 मातादीन सिंह

1/2 जितेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री मातादीन सिंह जातियान राव राजपूत निवासीयान् ग्राम वगरू रावान, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

1/3 सुनीता कंवर पुत्री स्व0 श्री मातादीन सिंह पत्नी विजय सिंह जाति राज राजपूत निवासी प्लाट नंबर 14 एफ, कृष्णा वाटिका, सीआईएसएफ गेट के सामने, नारदपुरा रोड, कुण्डा आमेर, जयपुर।

1/4 मन्जू कंवर पुत्री स्व0 श्री मातादीन सिंह पत्नी दौलत सिंह जाति राव राजपूत निवासी प्लाट नंबर 4 विनायक विहार, नियर विराट एलीगेन्ट, गांधी पथ वेस्ट, वैशाली नगर, जयपुर।

1/5 अंजू कंवर पुत्री स्व0 श्री मातादीन सिंह पत्नी श्री मुकेश सिंह जाति राज राजपूत निवासी प्लाट नंबर 101, व्यास कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर।

2. वावू सिंह
3. परमानन्द सिंह
4. फूलसिंह

पुत्रान् स्व0 श्री ईश्वर सिंह

5. श्रीमती सूरज देवी पत्नी स्व0 श्री ईश्वर सिंह जातियान राव राजपूत निवासीयान् ग्राम वगरू रावान, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
6. बोदू पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी ढाणी राजा कोदर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मार्फत कार्यालय तहसील सांगानेर, जयपुर।

–प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:43:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

दावा बाबत् तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

निर्णय **दिनांक : 17.05.2022**

वादीगण की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि वादीगण
व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की संयुक्त हाल खाता 82 के खसरा नंबर
369 रकबा 0.1300 है0, खसरा नंबर 370 रकबा 0.0640 है0 कुल किता 2
कुल रकबा 0.1940 है0 वाकै ग्राम वगरू रावान पटवार हल्का अवानिया,
भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वगरूकला तहसील सांगानेर में स्थित है जिसमें
वादी संख्या 1 का हिस्सा 1/12 व वादी संख्या 2 का हिस्सा 1/72,
प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का हिस्सा 5/72 प्रतिवादी संख्या 6 का हिस्सा
5/6 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जो वादग्रस्त है। वादग्रस्त आराजीयात का
कानूनी रूप से बंटवारा नही हुआ हैं तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1
लगायत 6 मनवट के आधार पर मौके पर बंटवारा करके कृषि काश्त करते
आ रहे हैं। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को वादग्रस्त
आराजीयात का तकासमा करने के लिए कहा तो उन्होंने ऐसा करने से मना
कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 विना तकासम करवाये वादग्रस्त
आराजीयात में निर्माण आदि कार्य करके अकृषि कार्य स्थाई पक्का गैर कृषि
पक्का निर्माण करने पर आमादा हो रहा है। दिनांक 25.01.2019 को प्रतिवादी
संख्या 1 लगायत 6 वादग्रस्त कृषि भूमि पर अकृषि निर्माण कार्य करने लग
गया इस पर वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को ऐसा करने से
मना किया तो वह आग बबूला हो गये तथा वादीगण को धमकी दी कि वह
वादग्रस्त आराजीयात में बना बंटवारा करवाये निर्माण कार्य करके अकृषि
उपयोग में लेगा इस कारण वादीगण को यह वाद वास्ते तकासमा एवं स्थाई
निषेधाज्ञा पेश करना लाजमी हुआ।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वादग्रस्त आराजीयात ̧क्त हाल खाता 82
के खसरा नंबर 369 रकबा 0.1300 है0, खसरा नंबर 370 रकबा 0.0640 है0
कुल किता 2 कुल रकबा 0.1940 है0 [illegible] पटवार हल्का
अवानिया, भू–अभिलेख निरी[illegible] सांगानेर का वाई
मीट्स एण्ड वाउण्ड्स के आ[illegible] बंटवारा कर [illegible] रिकॉर्ड में [illegible]
के हिस्से का अलग से खाता बनाया [illegible] अनुसार [illegible] निर्धारण
किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से
पावन्द फरमाया जावे कि जब तक वादग्रस्त आराजीयात का विधिवत बंटवारा

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:43:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न हो जावे तब तक प्रतिवादी संख्या एक वादग्रस्त आराजीयात में किसी प्रकार का निर्माण आदि करके अकृषि कार्य न करें, मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा वादीगण के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त व उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित न करें ऐसा न स्वयं करें ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, परिवारजन, रिश्तेदार आदि से करावें।

वकील वादी ने वाद के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ जमाबंदी ग्राम बगरू रावान की प्रमाणित प्रति व नक्शा ट्रेस असल की प्रति पेश की जो शामिल पत्रावली है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आयें। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित है कि प्रतिवादी संख्या 1 (1/1 से 1/5 दौराने दावा) लगायत 5 किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नही कर रहे है और ना ही कृषि भूमि पर अकृषि कार्य कर रहे है। वादीगण ने प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 को कभी भी तकासमा करने के लिए नही कहा गिन प्रतिवादीगण कानूनी रूप से तकासमा करने को तैयार है तथा उक्त वादग्रस्त आराजीयात का तकासमा किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है। प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित है कि प्रतिवादी संख्या 5 ने खसरा नंबर 369 रकबा 0.1300 हैक्टेयर में अपने 5/6 हिस्से में दक्षिण तरफ पक्की दुकाने बना रखी है तथा खसरा नंबर 370 रकबा 0.0640 में पूर्वी तरफ काबिज है जिसमें उत्तरी तरफ टीनशेड लगे हुए हैं तथा अपने हिस्से में आयी भूमि में पश्चिम तरफ शौचालय बाथरूम पानी की टंकी बनी हुई है तथा पश्चिम साईड में पक्का डण्डा प्रतिवादी संख्या 6 ने बना रखा हैं। इसी प्रकार वादीगण खसरा नंबर 369 में उत्तरी तरफ अपने हिस्से में आयी भूमि पर काबिज है तथा 370 में पश्चिमी तरफ अपने खातेदारी के खेत खसरा नंबर 371 के लगवा काबिज है तथा प्रतिवादी संख्या 6 की भूमि खसरा नंबर 368 खसरा नंबर 370 के लगवा होने की वजह से उसे भी बंटवारे में खसरा नंबर 370 के पूर्वी तरफ कब्जा बंटवारे में दिया गया है। वाद [illegible] वादीगण एवं प्रतिवादीगण के [illegible] संख्या 6 का कब्जे काश्त का नक्शा संलग्न किया गया हैं। प्रा[illegible] दावा मय संलग्न जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 6 के [illegible] किया जाता है तो मिन नक्शे एवं कब्जे काश्त के आधार [illegible] उत्तरदाता को कोई आपत्ति नही है।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:43:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

बहस वादपत्र पर वकील उभयपक्ष सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। वकील वादी द्वारा दस्तावेजात सूची के साथ प्रस्तुत जमाबंदी खाता संख्या नया 82 पुराना 73 के खसरा नंबर 369 रकबा 0.1300 है0 व 370 रकबा 0.0640 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.1940 हैक्टेयर वाके ग्राम बगरू रावान तहसील सांगानेर जिला जयपुर में वादीगण व प्रतिवादीगण सह–खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है जिनके मध्य आदिनांकत तक विधिवत तकासमा नही हुआ है। वकील उभयपक्ष ने भी अपने जवाव–बहस में कब्जे–काश्त व वाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासम हेतु सहमति दी हैं। ऐसे में वाद में तकासमा किया जाना उचित समझते है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात खाता संख्या नया 82 पुराना 73 के खसरा नंबर 369 रकबा 0.1300 हैक्टेयर व 370 रकबा 0.0640 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.1940 हैक्टेयर वाके ग्राम बगरू रावान पटवार हल्का अवानिया भू0अ0नि0 क्षेत्र बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित का मुताविक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड विधि सम्मत वाई मीट्स एण्ड वाउण्ड्स तथा कब्जे–काश्त के अनुसार उभयपक्ष की उपस्थिति में तकासमा कर अलग–अलग लगान व खाता कायम कर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस तीन प्रतियों में तैयार कर न्यायालय में भिजवायें।

न्यायालय आदेश की पालना में तहसीलदार सांगानेर ने अपने पत्र क्रमांक 2123 दिनांक 22.03.2022 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाई जो निम्नानुसार है :–

खाता सं.	खातेदारो का विवरण	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
91.	गोकुल सिंह, परमानन्द, वायूसिंह, मूलसिंह, मातादीन सिंह पि0 ईश्वरसिंह हि0 5/72, सूरज देवी पत्नी ईश्वरसिंह हि0 1/72, रामेश्वर सिंह पुत्र [illegible] सिंह हि0 1/12 जाति [illegible] सा0देह [illegible] पांदू पुत्र श्योकरण हि0 [illegible] जाति जाट सा0ढाणी राजपुरा [illegible]	369 370	0.13 0.0640	चाही 1 चाही 1	4.16 2.05
	योग	किता 2	[illegible]1940		6.21

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:43:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

प्रस्तावित कुर्रेजात रिपोर्ट :

खातेदारो का विवरण	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
...श्वर सिंह पुत्र भंवर सिंह हि0 1/2, गोकुल ...िंह, परमानन्द सिंह, बाबूसिंह, मूलसिंह पि0 ...श्वरसिंह हि0 1/3, सूरज देवी पत्नी ...श्वरसिंह हि0 1/12, प्रेमदेवी पत्नि मातादीन ...िंह हि0 1/60, जितेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 मातादीन सिंह हि0 1/60, सुनिता कंवर, मन्जू ...कंवर अन्जू कंवर पुत्रियां मातादीन हि0 1/20 जाति राजपूत सा0देह	369 मि0 370 मि0	0.0216 0.0107	चाही 1 चाही 1	1.03
योग	किता 2	0.0323		1.03
...डू पुत्र श्योकरण जाति जाट सा0ढाणी राजपुरा ...ोदर	369 मि0 370 मि0	0.1084 0.0533	चाही 1 चाही 1	5.18
योग	2	0.1617		

सहायक कलक्टर

...त कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्ष ने मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वाद में अन्तिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया। बहस सुनी जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट का मय पत्रावली अवलोकन किया गया। अतः तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट को स्वीकार किया जाकर वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादी एवम् प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद करें। कुर्रेजात रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। इस आशय की डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 17.05.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:43:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय) मुकाम जयपुर व इजलास श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

रामेश्वर बनाम मातादीन वगै.

दावा बाबत् तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

मुकदमा नम्बर – दावा/2019/76

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–I व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट को स्वीकार किया जाकर वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादी एवम् प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद करें। कुर्रेजात रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। इस आशय की अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

निज .... मुबलिग .... वावत् ....

.... खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह .... फीसदी

सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का

अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17.05.2022 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ....

ओहदा ....

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत		
बाबत् इजराय हुक्मनामा					
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान		00	मीजान		

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:43:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner